

प्रेषक,

जय सिंह, भा०प्र०से०
निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

अपर समाहर्ता-सह-प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त,
लखीसराय।

पटना, दिनांक : २१-०४-२०२१

विषय :- विशेष सर्वेक्षण कार्यों की समीक्षा जूम के माध्यम से होने के समय समीक्षा बैठक में भाग नहीं लेने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि उपरोक्त वर्णित आपके जिले का जूम के माध्यम से समीक्षा दिनांक – 15.04.2021 को चल रहे सर्वेक्षण कार्यों की समीक्षा किया गया। परंतु समीक्षा के दौरान आप अनुपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि आपके जिले में विशेष सर्वेक्षण कार्य की प्रगति उपलब्ध संसाधनों एवं कर्मियों के अनुरूप नहीं है।

ज्ञात हो कि प्रथम चरण के 20 जिलों के अपर समाहर्ता बिहार विशेष सर्वेक्षण अधिनियम की धारा – 2(2)xxix के अंतर्गत प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त के रूप में अधिसूचित है, जिसमें से आप भी है। बिहार विशेष सर्वेक्षण अधिनियम, 2011 एवं नियमावली, 2012 के अंतर्गत प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त का निम्न दायित्व उल्लेखनीय है:-

1. नियमावली के नियम-7(3) अंतर्गत अमीन द्वारा तैयार किए गए मानचित्र के 2 प्रतिशत भू-खण्ड की जाँच।
2. नियमावली के नियम-8 अंतर्गत किस्तवार, खानापुरी एवं शिविर कार्यालय के गठन के लिए बन्दोबस्त पदाधिकारी से आदेश प्राप्त कर अमीन, कानूनगो एवं सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी के बीच कार्य आवंटन करना।
3. किस्तवार कार्य क्रियान्वयन एवं उत्पन्न समस्याओं का समाधान।
4. खानापुरी कार्य हेतु रैयतों/भू-स्वामित्वों से प्राप्त वंशावली का अनुमोदन ग्राम सभा से सुनिश्चित कराना।
5. खतियानी विवरणी प्रपत्र-5 तैयार किए जाने का पर्यवेक्षण।
6. खानापुरी प्रारंभ करने से पूर्व सरकारी भूमि को मानचित्र में चिन्हित करवाना।
7. खानापुरी कार्यों का निरीक्षण करना एवं इससे बन्दोबस्त पदाधिकारी तथा निदेशालय को अवगत कराया जाना।
8. नियमावली के नियम-9 अंतर्गत खानापुरी पर्चा का वितरण कराना और उत्पन्न समस्या का समयबद्ध निष्पादन करना।
9. नियम-9 के उप नियम-4 अंतर्गत खानापुरी दल द्वार तैयार किए गए कुल खेसरों के 2 प्रतिशत का बेतरतीब ढंग से सत्यापन करना।
10. हवाई सर्वेक्षण एजेंसी एवं अमीनों के कार्यों की गुणवत्ता जाँच कर बन्दोबस्त पदाधिकारी को वस्तुस्थिति से अवगत कराना।

11. जिला सर्वेक्षण कार्यालय एवं शिविर कार्यालयों के बीच समन्वयन के स्थापित करना तथा साप्ताहिक/पाक्षिक बैठक कर प्रगति प्रतिवेदन से बंदोबस्तु पदाधिकारी एवं निदेशालय को अवगत कराना।
12. सर्वेक्षण कार्य में लापरवाही कर रहे कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु बंदोबस्तु पदाधिकारी एवं निदेशालय को प्रस्ताव भेजवाना।
13. सर्वेक्षण से संबंधित संचिकाओं का त्वरित निष्पादन हेतु आवश्यक/सुझाव निदेश देना।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्तु के अन्य दायित्व भी हैं। उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट हुआ जा सकता है कि आपके द्वारा विशेष सर्वेक्षण कार्य में अभिरुचित लिया जाना अपेक्षित है।

उक्त के आलोक में निदेश है कि विशेष सर्वेक्षण कार्य में अपेक्षित अभिरुचि लेकर अपने दायित्व निवर्हन लेकर किया जाय और राज्य मुख्यालय स्तर से निर्धारित विशेष सर्वेक्षण कार्यों की समीक्षा संबंधी बैठकों में भी प्रतिवेदन के साथ भाग लेने का कष्ट किया जाय।

विश्वासभाजन

(जय सिंह)

निदेशक,

भू-अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 17-वि० सर्वेक्षण (कार्यवाही)-84/2019.....1542.....पटना, दिनांक : 29-04-2021

प्रतिलिपि :- बंदोबस्तु पदाधिकारी, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक,

भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक: 17-विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही) - 84/2019....1542.....पटना, दिनांक :- 29-04-21

प्रतिलिपि:- सुश्री सुरभि सिंह, एम०आई०एस० डाटा एनालिस्ट, आई०टी०सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक,

भू-अभिलेख एवं परिमाप